न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00121/2020 दायरा दिनांक : 11.11.2020

उनवान

प्रेम नारायण, आयु 65 वर्ष पुत्र मथुरा लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– दक्ष आयु 4 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली सरपरस्त माता राजेश बाई, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– लक्ष, आयु 1 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली सरपरस्त माता राजेश बाई, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– नन्दा, आयु 80 वर्ष आत्मज मथुरा लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– रामप्रसाद, आयु 75 वर्ष पुत्र मथुरा लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– भूली बाई आयु 72 वर्ष पुत्री मथुरा लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– बिरधी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री मथुरा लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– रामलाल आयु 60 वर्ष पुत्र हर लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– रमेश आयु 50 वर्ष पुत्र हर लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

9– गंगा बाई आयु 48 वर्ष पुत्री हर लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

10– प्रेम बाई आयु 45 वर्ष पुत्री हर लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

11– ललता बाई आयु 42 वर्ष पुत्री हर लाल, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

12– मूल चन्द आयु 60 वर्ष पुत्र मदन, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

13– भागचन्द आयु 35 वर्ष पुत्र श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

14– जगदीश आयु 32 वर्ष पुत्र श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

15– देवकिशन आयु 30 वर्ष पुत्र श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

16– गिर्राज आयु 28 वर्ष पुत्र श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

17– बबलू आयु 25 वर्ष पुत्र श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

18– रीना बाई आयु 22 वर्ष पुत्री श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

19– भगवती बाई आयु 60 वर्ष बेवा श्याम, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

20– चम्पा बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मदन, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

21– शांति आयु 50 वर्ष पुत्री मदन, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

22– विमला आयु 48 वर्ष पुत्री मदन, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

23– नवल आयु 32 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

24– राजू उर्फ राजेन्द्र आयु 28 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण, जाति काछी, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

25– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक श्री संजय नागर अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 63/2017 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बाबत पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पारा
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा प्रकरण संख्या 63/2017 निर्णय दिनांक 25.07.2017 खिलाफ कानून एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 बंटवारा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को अपीलांट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । उपरोक्त आराजियात वाके ग्राम भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा में वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 153 पुराना 147 खसरा नम्बर 5 रकबा 9.03 बीघा है जिसे अपीलांट द्वारा खरीदा गया है जो पुश्तैनी आराजियात नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी क्रय की गई है जिस पर रेस्पोडेंट का कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है इस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया और विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काश्तकारी कानूनों एवं सी पी सी के प्रावधानों को दरकिनार कर बिना तनकीयात कायम किये व बिना सबूत प्राप्त किये, बिना नक्शा मौका प्राप्त किये, मात्र वादी के अनुरोध पर, बिना अपीलांट की सहमति के मनमाना निर्णय पारित किया है, जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धातों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नक्शा व बिना मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये मात्र हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जिससे अपीलांट के अधिकारों का हनन हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.10.2019 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ☆ कोटा ☆

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह हाड़ा
स्टैनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हल्का पटवारी द्वारा दी गई किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालयों में काम–काज सुचारू रूप से नहीं होने के कारण अपीलांट अपील समय पर पेश नहीं कर सका । अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा प्रकरण में तनकी भी नहीं कायम की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.10.2019 जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाके ग्राम भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा में वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 153 पुराना 147 खसरा नम्बर 5 रकबा 9.03 बीघा है जिसे अपीलांट द्वारा खरीदा गया है जो पुश्तैनी आराजियात नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी क्रय की गई है जिस पर रेस्पोडेंट का कोई अधिकार नहीं है, को ध्यान में रखकर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.11.2022 को उपस्थित होवे।

(भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा — seal)

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टैनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/2022

(डॉ० अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा।

टंकण कर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, को..